



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/DEV-1583/JH/9/2023-ESDW

श्री संदीप सिंह
प्रशासक,
रांची नगर निगम,
कचहरी रोड,
राँची, झारखण्ड-834001,
ई-मेल: support@ranchimunicipal.com

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक 30/05/2025 को 11:00 बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलें का संदर्भ :-

संदर्भ 1. भू माफियाओं द्वारा आवेदक की भूमि पर जबरन कब्ज़ा करने के संबंध में श्री संदीप उराँव, ग्राम - हरमू, टोंगरी टोली, जतरा मैदान के पास, थाना - अरगोड़ा, वार्ड सं.-26, जिला - राँची, झारखण्ड दिनांक 06.04.2023 की शिकायत।

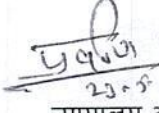
संदर्भ 2. आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 28.03.2025.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 23/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर




हस्ताक्षर
23.5.25

न्यायालय अधिकारी
Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/DEV-1583/JH/9/2023-ESDW

श्री. मोहनराज भजन्नी,
उपायुक्त,
जिला - रांची,
कचहरी चौक ब्लॉक- बी,
कमरा नंबर-504,
रांची-834001, झारखण्ड,
ई-मेल: dc-ran@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक 30/05/2025 को 11:00 AM बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलों का संदर्भ :-

संदर्भ 1. भू माफियाओं द्वारा आवेदक की भूमि पर जबरन कब्ज़ा करने के संबंध में श्री संदीप उराँव, ग्राम - हरमू, टोंगरी टोली, जतरा मैदान के पास, थाना - अरगोड़ा, वार्ड सं.-26, जिला - रांची, झारखण्ड दिनांक 06.04.2023 की शिकायत।

संदर्भ 2. आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 28.03.2025.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 23/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर



पुनर्जी
23.5.25
हस्ताक्षर
न्यायालय अधिकारी

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003